न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—295/2015/223 (2015/00144)

1. सूरजकरण पुत्र खेता, जाति जाट, निवासी रामसर, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद दिनांक 3.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 210/2011.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः—21.8.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद बाबत् हक खातेदारी की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में चौसाला खसरा नंबर 437 मिन जिसका रकबा 7—9—00 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 464 व 465 बने है तथा जिनके वर्तमान खसरा नंबर 628 रकबा 0.20 है0, वर्तमान खसरा नंबर 631 रकबा 0.15 है0 बने है । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 26.4.2012 के द्वारा स्वीकार कर वर्तमान खसरा नंबर 631 रकबा 0.15 है0 बाबत् तो स्वीकार किया किन्तु वर्तमान खसरा नंबर 628 रकबा 0.20 है0 बाबत् वादी का वाद निरस्त कर दिया । उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी/अपीलांट द्वारा न्यायालय हाज के समक्ष अपील संख्या 314/2012 प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.10.2014 को स्वीकार कर अपीलाधीन भूमि चौसाला खसरा नंबर 437 का भाग वर्किंग खसरा नंबर 465 के वर्तमान खसरा नंबर 628 की भूमि वाके ग्राम रामसर के संदर्भ में पुनः अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करे । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं कर निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से अंसतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर चौसाला 437 का भाग वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 464 के वर्तमान खसरा नंबर 628 रकबा 0.20 है0 की भूमि जो कि राजस्व अभिलेख रिकार्ड चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है । न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 314/2012 बउनवान सूरजकरण बनाम राज0 सरकार की अपील में निर्णय दिनाक 31.10.2014 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 जिसमें अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है एवं राजस्व नक्शा 1349 फसली सन् 1941–42 को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर तथ्यों पर निर्णित करे किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना नहीं की गई है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि चौसाला खसरा नंबर 437 मिन रकबा 7–9–00 की भूमि जिसे सक्षम अधिकारी के द्वारा अपीलांट के पिता खेता पुत्र सांवता को नियमन की गई थी एवं नामांतकरण संख्या 671 दिनांक 18.8.1996 को स्वीकृत किया गया था । चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के अनुसार भी अपीलांट के पिता खातेदार दर्ज है, विवादित भूमि बापोती समय से काश्त की जाती रही है, विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ता नहीं है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में अपीलाधीन भूमि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई तथा गलत रूप से रास्ता दर्ज कर दी गई है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है, रास्ता विवादित भूमि के उत्तर दिशा की और है । अधी0न्याया0 को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2014 की पूर्ण पालना करते हुए दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए कैम्प कोर्ट में आनन–फानन में प्रकरण को निर्णित किया है जो कि अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे ।

4. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा न्यायालय हाला के पूर्व निर्णय में दिये गये निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 31.10.2014 का भी अवलोकन किया गया । न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अपील संख्या 314/2012 बउनवान सूरजकरण बनाम राज0 सरकार में दिनांक 31.10.2014 को यह निर्णय व निर्देश पारित करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया कि ' चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 जिसमें अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है एवं राजस्व नक्शा 1349 फसली सन् 1941–42 में भूमि चौसाला खसरा नंबर 437 एक चक के रूप में बारानी दो दर्ज थी तो किस सक्षम न्यायालय के आदेशों से इंद्राज परिवर्तन किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज की गई, इस संबंध में पक्षकारान को साक्ष्य एवं सनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 एवं राजस्व नक्शा 1349 फसली सन् 1941–42 को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर तथ्यों पर निर्णित करे ''

परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 18.3.2015 को प्रकरण जवाब सरकार में रखा गया उसके पश्चात् दिनांक 13.5.2015 को लोक अदालत के नोटिस जारी किये एवं दिनांक 3.7.2015 को राजस्व कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित कर दिया । उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों की कोई पालना नहीं की गई है ना ही कोई साक्ष्य एवं सुनवाई की गई । अधी0न्याया0 न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में पूर्व निर्देशों की उपेक्षा करते हुए अविधिक निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 314/2012 उनवान सूरजकरण बनाम सरकार में पूर्व पारित निर्णय दिनांक 31.10.2014 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर